संचालनालय आयुष, म0प्र0

(भू–तल "डी" विंग, सतपुडा भवन, भोपाल–462004)

www.ayush.mp.gov.in
E-mail:jdayush@mp.gov.in

Office (0755)2552931
Fax (0755) 2760225

दिनांक :06/10/2023

–स्टेट कोटे की काउंसिलिंग से संबंधित दिशा–निर्देश (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम)–

1– भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली/म0प्र0 शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में प्रदेश के प्रवेशानुमति प्राप्त शासकीय स्वशासी एवं निजी आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान महाविद्यालयों की स्टेट कोटे की सीटों पर प्रवेश काउंसिलिंग की कार्यवाही एम पी ऑनलाइन के द्वारा संपादित की जायेगी।

2– स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की काउंसिलिंग अंतर्गत स्टेट कोटे की काउंसिलिंग का चरणवार जारी काउंसिलिंग कार्यक्रम विभागीय वेबसाइट तथा एम पी ऑनलाइन के पोर्टल पर प्रदर्शित है।

3– स्टेट कोटे की काउंसिलिंग में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी एम0पी0 ऑनलाइन की पोर्टल www.ayush.mponline.gov.in पर अपना पंजीयन करा सकते है। **प्रवेश हेतु पात्रता म0प्र0 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम–2023 के अनुसार रहेगी।**

4– पंजीयन उपरान्त अभ्यर्थी प्रदेश के किसी भी शासकीय स्वशासी आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी महाविद्यालय से अभिलेख सत्यापन करा सकते है। इस हेतु पंजीयन के समय उन्हें अभिलेख सत्यापन हेतु वांछित हेल्प सेन्टर का चयन करना होगा। हेल्प सेन्टर पर निर्धारित तिथि एवं समय पर अभ्यर्थियों को उनके मूल अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। अभिलेख सत्यापन उपरान्त पात्र अभ्यर्थियों की मैरिट सूची तैयार कर उन्हें काउंसिलिंग प्रकिया में सम्मिलित किया जायेगा।

5– काउंसिलिंग के दौरान प्रत्येक चरण में पंजीयन/अभिलेख सत्यापन किया जायेगा। किसी भी अभ्यर्थी को काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिये केवल एक बार ही पंजीयन एवं अभिलेख सत्यापन कराना होगा। पंजीयन उपरान्त अभिलेख सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन उपरान्त अभिलेख सत्यापन कराने वाले अभ्यर्थियों को ही काउंसिलिंग प्रकिया में सम्मिलित किया जायेगा।

6– मैरिट सूची के आधार पर अभ्यर्थी को प्रवेशानुमति प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु रिक्त सीटों के अनुसार च्वाईस फिलिंग एवं लॉकिंग करना अनिवार्य होगा। मैरिट कमानुसार च्वाईस फिलिंग एवं लॉकिंग के आधार पर अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटित किया जायेगा।

7– महाविद्यालय आवंटन के उपरान्त अभ्यर्थियों को आवंटित संस्था में अपने मूल दस्तावेजों एवं आवंटित महाविद्यालय की प्रथम वर्ष की निर्धारित फीस के साथ उपस्थित होना होगा। महाविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी को निर्धारित प्रकिया अनुसार फीस जमा कराते हुऐ, ऑनलाइन प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

8– किसी भी शासकीय स्वशासी एवं निजी पीजी आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी/प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान महाविद्यालयों की फीस की जानकारी संबंधित महाविद्यालय की वेबसाइट अथवा दूरभाष पर संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है। साथ ही "म0प्र0 प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति/म0प्र0 निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल" की वेबसाइट पर भी निजी आयुष महाविद्यालयों के शिक्षण शुल्क की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

9– उक्त काउंसिलिंग प्रकिया में केवल भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली/म0प्र0 शासन आयुष विभाग से प्रवेशानुमति प्राप्त आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान महाविद्यालयों को सम्मिलित किया जायेगा।

10– एएसीसीसी/एमपी ऑनलाइन द्वारा संपन्न ऑल इण्डिया कोटे की काउंसिलिंग में **प्रवेशित अभ्यर्थी** स्टेट काउंसिलिंग हेतु अपात्र होंगे।

11– काउंसिलिंग से संबंधित जानकारी समय–समय पर विभागीय वेबसाइट एवं एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी।

12– प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी स्नातकोत्तर प्रवेश नियम–2023 का भलीभांति अवलोकन करने के उपरान्त ही काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होवें।

13– उपरोक्त काउंसिलिंग प्रकिया से हटकर महाविद्यालय द्वारा संस्थास्तर पर किये गये ऑफलाइन प्रवेश किसी भी स्थिति में मान्य नही किये जायेंगे।

14– स्नातकोत्तर काउंसिलिंग प्रकिया में सम्मिलित होने हेतु अर्हताऐं स्तानकोत्तर प्रवेश नियम–2023 के अनुसार रहेगी।

15– राज्य की **शासकीय (स्वशासी)** संस्था में पीजी पाठ्यक्रम–एमडी/एमएस आयुर्वेद/एमडी होमयोपैथी/एमडी यूनानी पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को प्रवेश के समय सीट लीविंग बांड प्रस्तुत करना होगा जिसके अनुसार यदि कोई छात्र/छात्रा अंतिम चरण की काउंसिलिंग के पश्चात् अपनी सीट रिक्त करता है अथवा त्यागपत्र देता है और किसी अन्य छात्र द्वारा उस रिक्त सीट पर प्रवेश की संभावना नहीं है अथवा अंतिम काउंसिलिंग दिवस के पश्चात् कभी भी प्रवेश निरस्त कराने पर उस स्थिति में छात्र/छात्रा को रू. 05.00 लाख (कुल पॉच लाख) संबंधित शासकीय (स्वशासी) संस्था में अर्थदण्ड स्वरूप जमा करने होंगे जिसके उपरांत ही प्रवेश निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

<u>आयुक्त द्वारा अनुमोदित</u>

(डॉ0 आर के गुप्ता)
प्र0संयुक्त संचालक
संचालनालय आयुष म0प्र0